बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अधयक्ष,
★ सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9470003023 /9431479774

महासचिव,
★ सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाधयक्ष :– ★ सआदत हसन मिन्टू
★ राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिवः– ★ राजयनन्द वार्डियार
★ अनिल कुमार

कोषाधयक्षः– ★ चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाधयक्षः– ★ विनोद आनन्द

पत्रांक :.....63..... दिनांक ...24/6/2015...

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार सरकार।

विषय :– सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति को और प्रभावकारी बनाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 16.04.2015 को संघ के प्रतिनिधिमंडल से भवदीय की हुई वार्त्ता का स्मरण करना चाहेंगे। अन्य बिन्दु के अतिरिक्त सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति को और सरल बनाने पर चर्चा की गई थी। भवदीय के द्वारा एक प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने को कहा गया था। तत्सम्बन्धि प्रस्ताव संलग्न कर भवदीय को समर्पित की जा रही है।

संघ का अनुरोध है कि सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति को सरल बनाने हेतु संबंधित को निदेश देना चाहेंगे।

24/06/15

(सुशील कुमार)
महासचिव

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अधयक्ष,

★ सुरेश कुमार शर्मा

मो० 9470003023 /9431479774

महासचिव,

★ सुशील कुमार

मो० 9431091417

उपाधयक्ष :– ★ सआदत हसन मिन्टू

★ राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिवः– ★ राजयनन्द वार्डियार

★ अनिल कुमार

कोषाधयक्षः– ★ चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाधयक्षः– ★ विनोद आनन्द

पत्रांक :..... दिनांक.....

राज्य के सभी कार्यरत एवं सेवा निवृत्त कर्मियों/पदाधिकारीयों, को निःशुल्क (कैशलेस) चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्तावः–

वर्त्तमान में राज्य सरकार के सेवारत कर्मियों को प्रतिमाह 200/– (दो सौ) रूपये तथा सेवानिवृत्त कर्मियों को 100/– (एक सौ) रूपये चिकित्सा भत्ता अनुमान्य हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मियों को (परिवार के सदस्यों सहित) अन्तर्वासी चिकित्सा के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। वर्त्तमान में सरकारी कर्मियों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा भत्ता लगातार मंहगी होती जा रही है।चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रावधानों की जटिलता के कारण आम सरकारी कर्मियों को इसका अपेक्षित लाभ नही मिल पर रहा है। अपर्याप्त चिकित्सा भत्ता के कारण सरकारी कर्मी को स्वयं एवं अपने परिवार के गंभीर रूप के बीमार होने पर वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

निःशुल्क (कैशलेस) सुविधा उपलब्ध कराने की निम्नलिखित शर्त्त एवं प्रक्रिया पर विचार किया जा सकता हैः–

1. राज्य सरकार संकल्प की परिधि में आनेवाले कर्मियों/पदाधिकारियों एवं सदस्यों को स्वास्थ्य सुविधा/चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाली बीमा कंपनियों के साथ वहिर्वासी एवं अन्तर्वासी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा बीमा करायेगी। इसमें राज्य सरकार को भूमिका थर्ड पार्टी (Third party) की होगी।
2. सभी कर्मियों/पदाधिकारियों सदस्यों की बीमा राशि की मासिक/वार्षिक प्रीमियम की राशि वही होगी जो इन्हें सरकार के द्वारा प्रतिमाह/प्रतिवर्ष चिकित्सा भत्ता के रूप में प्रदान की जाती है।
3. इस कार्य हेतु सरकार प्रारंभ में 100.00 (एक सौ करोड़) रूपये का एक कार्पस (corpus fund) निधि की व्यवस्था करेगी।
4. बीमा कंपनियों एवं राज्य सरकार मिलकर राज्य एवं राज्य के बाहर के कम से कम 200 वैसे अस्पतालों को कणांकित करेगी जहाँ सभी तरह के बीमारियों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।
5. कर्णाकित अस्पतालों में इस संकल्प की परिधि में आनेवाले कर्मियो/पदाधिकारियों/सदस्यों (परिवार के सदस्य सहित) वहिर्वासी अथवा अन्तर्वासी चिकित्सा कराने पर अस्पताल द्वारा व्यय किये गये रखे भी प्रतिपूर्ति (भुगतान) बीमा कंपनियों सीधे हॉस्पीटल को भरेगी।
6. इस सुविधा के लिए सरकार द्वारा सभी कर्मियों/पदाधिकारियों एवं सदस्यों को हेल्थ स्मार्ट कार्ड (Health smart card) उपलब्ध कराया जायेगा।
7. इस योजना के लागू होने के उपरांत सरकारी कर्मियों (कार्यरत/सेवा निवृत) को पूर्व में उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा भत्ता तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा देय नही होगे।

8. वर्त्तमान में कार्यरत एवं सेवा निवृत्त कर्मियों को चिकित्सा भत्ता उपलब्ध कराने में प्रतिवर्ष लगभग 400,000x2400+4,00,000x1200 =144.00 करोड़ **(चार लाख सेवारत एवं 4 लाख सेवानिवृत कर्मी/पदाधिकारी मानते हुए)**राज्य सरकार का व्यय होना है। निःशुल्क चिकित्सा सुविधा योजना लागू होने पर सरकार को प्रत्येक वर्ष 144.00 करोड़ रूपये की बचत होगी। इस राशि से प्रत्येक वर्ष बीमा कंपनियों को प्रीमियम की अदायगी होगी। भविष्य में सरकार इस राशि से सरकारी अस्पतालों को भी नियमित करने पर विचार कर सकती जहाँ अलग से सरकारी कर्मियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जा सकता है अथवा इस उदेश्य से नये अस्पताल के निर्माण पर भी विचार किया जा सकता है।
9. बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य ट्रस्ट की स्थापना की जायेगी। ट्रस्ट के अध्यक्ष मुख्य सचिव होगे। ट्रस्ट के प्रबंधन समिति विधान मंडल के दोनो सदनों के सचिव, उच्च न्यायालय के महानिबंधक तथा वित्त एवं स्वास्थ्य विभागों के प्रधान सचिव होगें। ट्रस्ट के लिए तत्काल उन्हीं नियमों एवं व्यवस्था का प्रावधान होगा जो प्रावधान वर्त्तमान में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए है।

पंजीकृत अस्पतालों में अन्तर्वासी रोगियों के लिए उपर्युक्त कोटि के कमरों के किराये का निर्धारण करेगी। इसके लिए प्रबंधन समिति अपनी अनुशंसा भेजकर सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेगी तथा सरकार के अनुमोदनोपरान्त ही किराये का निर्धारण किया जायेगा।

(सुशील कुमार)
महासचिव